महाराष्ट्र विकास सेवा, गट विकास अधिकारी गट-अ (एस-२०) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एस-२३) संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत.

(निवडसूची वर्ष २०२३-२४)

महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग

शासन आदेश क्रमांक : मविसे-१०२४/प्र.क्र.१८५/२०२४/आस्था-३, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. दिनांक: २६नोव्हेंबर, २०२४

शासन आदेश :-

निवडसुची वर्ष २०२३-२४ करिता महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ मधील गट विकास अधिकारी या संवर्गातील (वेतन स्तर एस-२०: ५६१००-१७७५००) खालील अधिकाऱ्यांना उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी या संवर्गात (वेतन स्तर एस-२३: ६७७००-२०८७००) तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे

२. सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दिनांक १४.०७.२०२१ नुसार पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी विह्नीत केलेल्या "महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम,२०२१" मधील तरतूदींच्या अधीन नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने सदर अधिकाऱ्यांना खालील तक्त्यातील त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे :-

| अ. क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले पद व ठिकाण | तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद व ठिकाण | शेरा |
|---------|--|--|-----------|
| (9) | (5) | (3) | (8) |
| | श्री.एस.बी. भंडारे, गट विकास अधिकारी, पं.स.आटपाडी, जि.सांगली | पदोन्नतीने पदस्थापनेबाबत आदेश यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील | |
| | | पदोन्नतीने पदस्थापनेबाबत आदेश यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील | |
| | श्री.सुभाष.एस.मानकर, गट विकास अधिकारी, पं.स.कळंब, जि.यवतमाळ | गट विकास अधिकारी, पं.स.जिंतुर, जि.जालना | रिक्त पदी |
| 8. | श्री.एन.डी. वाळेकर, | गट विकास अधिकारी, पं.स.तुमसर, जि.भंडारा | रिक्त पदी |

| अ. क्र. | · | तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे | शेरा |
|---------|---|--------------------------------------|---------------------------|
| | पद व ठिकाण | पद व ठिकाण | |
| (9) | (२) | (3) | (8) |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.चाळीसगांव, | | |
| | जि.जळगांव | | |
| 4. | श्री.एस.टी. जठार, | उप संचालक, कृतिसंगम, महाराष्ट्र | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.माणगांव, | राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, | |
| | जि.रायगड | नवी मुंबई. | |
| ξ. | श्री.जे. बी. पठारे, | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र), | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.राहता, | जि.प.रायगड | |
| | जि.अहमदनगर | | |
| 0. | श्री.यु.जे.कुसुरकर, | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रापं), | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.धारणी, | जि.प.नंदुरबार | |
| | जि.अमरावती | | |
| ۷. | श्री.एस.पी. मगर, | गट विकास अधिकारी, | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.वैभववाडी, | पं.स.अहिल्यानगर, जि.अहिल्यानगर | |
| | जि.सिंधूदुर्ग | | |
| ۶. | श्री.एस.ए.राऊत, | सहायक आयुक्त (चौकशी), विभागीय | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी,पं.स.कोपरगांव | आयुक्त कार्यालय, अमरावती | |
| | जि.अहमदनगर | | |
| 90. | श्री.ए.टी. माने, | गट विकास अधिकारी, पं.स.अकोले, | रिक्त पदी |
| | व्याख्याता, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, | जि.अहिल्यानगर | |
| | मांजरीफार्म जि.पुणे | | |
| 99. | श्री.ए.एल. बोंद्रे, | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रापं), | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.पैठण, | जि.प.वाशिम | |
| | जि.छत्रपती संभाजीनगर | | |
| ٩२. | श्री.एस.जी.वाघ, | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रापं), | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.मोताळा, | जि.प. अकोला | |
| | जि.बुलडाणा | | |
| 93. | श्री.यु.आर.म्हेत्रे, | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र), | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.औसा, | जि.प.अमरावती | |
| | जि.लातूर | | |
| 98. | श्री.एम.यु. पाटील, | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी | श्री.जे.एन. आभाळे यांच्या |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.चोपडा, | (साप्र), जि.प. धुळे | जागी |
| | जि.जळगांव | _ | |
| 94. | श्री.एस.डी. सुर्यवंशी, | गट विकास अधिकारी, पं.स.काटोल, | श्री.आर.एच.पाटील यांच्या |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.जुन्नर, जि.पुणे | जि.नागपूर | जागी |
| | | | |
| | | | |

| अ. क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले | तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे | शेरा |
|---------|---|--|--------------|
| | पद व ठिकाण | पद व ठिकाण | |
| (9) | (2) | (3) | (8) |
| ٩६. | श्री.एस.एस. शेवाळे, | गट विकास अधिकारी, पं.स.वर्धा, | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.शिरपूर, | जि.वर्धा | |
| | जि.धुळे | | |
| 90. | श्रीम.एन.व्ही. सावंत, | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र), | रिक्त पदी |
| | प्रकल्प संचालक, जल जीवन मिशन, | जि.प.चंद्रपूर | |
| | जि.प.चंद्रपूर | | |
| ٩८. | श्री.एम.एम. वासनिक, | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रापं), | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.सावली, | जि.प.गोंदिया | |
| | जि.चंद्रपूर | | |
| १९. | श्रीम.डी.ए. कोतवाल, | प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.नांदगांव, | बुलडाणा. | |
| | जि.नाशिक | | |
| २०. | श्रीम.ए.एन.गावडे-पवार, | गट विकास अधिकारी, पंचायत | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.पुरंदर, जि.पुणे | समिती, बुलडाणा, जि.बुलडाणा | |
| २१. | श्रीम.एस.एल. भांगरे, | गट विकास अधिकारी, पंचायत | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.वसई, | समिती, चंद्रपूर, जि.चंद्रपूर | |
| | जि.पालघर | | |
| २२. | श्री.ए.आर. बागल, | गट विकास अधिकारी, पं.स.मिरज, | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.बारामती, | जि.सांगली | |
| | जि.पुणे | | _ |
| २३. | श्री.एफ.आर. कुत्तिरकर, | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र), | रिक्त पदी |
| | उप जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक | जि.प.गोंदिया | |
| | (मग्रारोहयो), जि.चंद्रपूर | | _ |
| २४. | श्री.प्रशांत.डी.काळे, | गट विकास अधिकारी, पंचायत | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.दौंड, जि.पुणे | समिती, नांदेड, जि.नांदेड | |
| २५. | श्री.आर.जी. म्हात्रे, | सह संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा | प्रपत्र बढती |
| | सह संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा | अभियान (रूसा), मुंबई. | |
| | अभियान (रूसा), मुंबई | | |
| २६. | श्री.ए.आर.दांडगे, | उप मुख्याधिकारी, म्हाडा, | प्रपत्र बढती |
| | विशेष कार्य अधिकारी, मा.मंत्री (गृहनिर्माण) | छ.संभाजीनगर | |
| | यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई | | |
| २७. | श्री.आर.बी.घोरपडे, | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्र), | रिक्त पदी |
| | गट विकास अधिकारी, पं.स.शहादा, | जि.प.छत्रपती संभाजीनगर | |
| | जि.नंदुरबार | | |

- ३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६ब यांच्या शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णय प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे.
- ४. श्री.आर.जी. म्हात्रे व श्री.ए.आर.दांडगे यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम,१९८१ मधील नियम ४०, परिशिष्ट-२, अट क्र.१८ नुसार तात्पुरत्या स्वरूपात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील.
- ५. वरीलप्रमाणे अधिकाऱ्यांना उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गात खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे :-

अटी व शर्ती :-

- ५.१) वरील अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील तात्पुरती पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे .
- ५.२) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी संवर्गात रिक्त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम अधिकाऱ्यांना पदावनत करण्याच्या अधिन सदर तात्पुरती पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत.
- ५.३) सदरची पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपाची असून सदर पदोन्नती प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात येत आहे.
- ५.४) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत.
- ५.५) वरीलप्रमाणे अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेल्या पदावर विहित कालावधीत रूजू होणे आवश्यक आहे.
- ६. संबंधित विभागीय आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गात तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या वरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्याबाबत सूचना द्याव्यात.
- ७. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी रूजु झाल्यानंतर तसेच सदर पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याचा अनुपालन अहवाल

शासनास सादर करावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी अनिधकृत रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक: सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन नियुक्ती रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची त्यांनी नोंद घ्यावी.

८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४११२६१२५२३४७७२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(डॉ.उर्मिला जोशी) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- २) मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) मा. मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) मा. प्रधान सचिव (ग्राम विकास) यांचे स्वीय सहायक, ग्राम विकास विभ बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई,
- ५) मा.प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ६) विभागीय आयुक्त (सर्व),
- ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व),
- ८) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पुर्व), मुंबई.
- ९) राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुंबई.
- भिवास प्राधिकरण, वांद्रे (पुर्व), मुंबई.
- ११) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व),
- १२) महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर,
- १३) संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेमार्फत.),
- १४) अवर सचिव (कार्यासन आस्था-२), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई.
- १५) निवड नस्ती (कार्यासन आस्था-३), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई.